सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
माघ 26, गुरूवार, *शाके* 1945-फरवरी 15, 2024 *Magha 26 Thursday , Saka 1945- February 15 , 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 06, 2024

जी.एस.आर.157 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के खण्ड (ख) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) नियम तथा विनियम, 1999 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम और विनियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों तथा विनियमों का नाम राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) (प्रथम संशोधन) नियम तथा विनियम, 2023 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नये नियम 6ग का जोड़ा जाना.- राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) नियम तथा विनियम, 1999 के विद्यमान नियम तथा विनियम 6ख के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम तथा विनियम जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"6ग. ऐसे अभ्यर्थियों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति जो कोरोना वायरस संक्रामक रोग (कोविड-19) के कारण अनाथ हो गये.- (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली वेतन मैट्रिक्स में के लेवल एल-9 तक के पद की रिक्तियां, किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जो कोविड-19 के कारण अनाथ हो गया है, अनुकम्पात्मक आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्त करके भर सकेगा,-

(i) अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए; और

(ii) अभ्यर्थी इन नियमों के अधीन संबंधित पद के लिए विहित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं तथा अन्य शर्तें पूर्ण करता हो।

(2) चयन और नियुक्ति के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षा जैसे कि,-

(क) नियुक्ति के समय कम्प्यूटर अर्हता पर जोर नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थी को सुसंगत नियमों में यथा विहित कोई भी कम्प्यूटर अर्हता परिवीक्षा कालावधि के भीतर-भीतर प्राप्त करनी होगी जिसमें विफल होने पर, उसकी परिवीक्षा बढ़ायी गयी समझी जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी उसके प्रदर्शन को पूर्ण रूप से असंतोषजनक पाते हुए उसकी सेवाओं को समाप्त नहीं कर दे;

(ख) नियुक्ति के समय प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कम्प्यूटर पर टंकण पर जोर नहीं दिया जायेगा। तथापि, अभ्यर्थी से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर, जब तक स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु उस कालावधि को कार्मिक विभाग द्वारा शिथिल ना किया गया हो, ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा अथवा कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षण या तो अंग्रेजी या हिन्दी में उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा, जिसमें विफल रहने पर उसकी नियुक्ति समाप्त किये जाने के लिए दायी होगी। जब तक वह ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर लेता/लेती है, तब तक कोई भी वार्षिक ग्रेड वृद्धियां अनुज्ञात नहीं की जायेंगी। ऐसी अर्हता अर्जित कर लेने पर नियुक्ति की तारीख से वार्षिक ग्रेड वृद्धियां काल्पनिक रूप से अनुज्ञात की जायेंगी किन्तु कोई भी बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा:

परन्तु इस नियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त बेंचमार्क दिव्यांगत वाले व्यक्ति को कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षण उत्तीर्ण करने से छूट दी जायेगी।

(3) ऐसे अनाथ को नियुक्ति नहीं दी जायेगी यदि उसके माता-पिता की मृत्यु के समय या ऐसे अनाथ की नियुक्ति के समय उसके कुटुंब का कोई भी सदस्य, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से या भागत: स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कानूनी बोर्ड, संगठन या निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से ही नियुक्त है।

(4) यदि अनाथ उसकी अवयस्कता के कारण तुरन्त नियोजन लेने की स्थिति में नहीं है तो पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित आयु प्राप्त करने पर उसे नियोजन दिया जा सकेगा।

(5) ऐसा अनाथ नियुक्ति के लिए संबंधित जिला कलक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेगा। संबंधित जिले में रिक्ति की अनुपलब्धता की दशा में आवेदन संभागीय आयुक्त को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन किसी भी जिले में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा। यदि संभागीय आयुक्त की अधिकारिता के अधीन रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो नियुक्ति प्रदान करने हेतु आवेदन संभागीय आयुक्त द्वारा कार्मिक (क-2) विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

स्पष्टिकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए अनाथ से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, अपने जैविक या दत्तक माता-पिता (दोनों) जिनकी मृत्यु 31.03.2023 को या उससे पूर्व कोरोना के कारण हो गयी है या माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है और दूसरे की मृत्यु 31.03.2023 को या उससे पूर्व कोरोना के कारण हो गयी है, अठारह वर्ष की आयु नहीं प्राप्त की है जो अपने माता-पिता मृत्यु के समय उन पर पूर्ण रूप से आश्रित था।"

[सं. एफ. 7(7)डीओपी/ए-2/2023]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
जय सिंह,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, February 06, 2024

G.S.R.157 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with clause (b) of Article 318 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby

makes the following rules and regulations further to amend the Rajasthan Public Service Commission (Ministerial and Subordinate Services) Rules and Regulations, 1999, namely:-

1**. Short title and commencement.-** (1) These rules and regulations may be called the Rajasthan Public Service Commission (Ministerial and Subordinate Services)(First Amendment) Rules and Regulations, 2024.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Addition of new rule 6C.- After the existing rule and regulation 6B of the Rajasthan Public Service Commission (Ministerial and Subordinate Services) Rules and Regulations, 1999, the following new rule and regulation shall be added, namely:-

"**6C. Compassionate appointment to candidates who became orphan due to Corona Virus infectious Disease (Covid-19).-** (1) Notwithstanding anything contained in these rules, the Appointing Authority may fill the vacancies of the post upto level in pay matrix L-9 to be filled in by direct recruitment by appointing a candidate who became orphan due to Covid-19, on compassionate ground, subject to the conditions that,-

(i) the candidate must be a bonafide resident of the State of Rajasthan; and

(ii) the candidate fulfills academic and other qualifications and other conditions prescribed under these rules for respective post:

(2) The procedural requirement for selection and appointment such as,-

(a) computer qualification shall not be insisted upon at the time of appointment. The candidate shall have to possess any of the computer qualification as prescribed in the relevant rules within the period of probation, failing which his/her probation shall be deemed to be extended, unless the appointing authority terminates his/her services finding the performance wholly unsatisfactory;

(b) training or departmental examination or typing on computer shall not be insisted upon at the time of appointment. The candidate shall however, be required to clear such training or departmental examination or typing test on computer either in English or in Hindi, within a period of three years, unless the period is relaxed by Department of Personnel, for entitlement for confirmation, failing which his/her appointment shall be liable to be terminated. No annual grade increments shall be allowed until he/she acquires such qualification. On acquiring such qualification, annual grade increments shall be allowed notionally from the date of appointment but no arrears shall be paid:

Provided that the person with benchmark disability appointed under the provisions of this rule shall be exempted from passing the typing test on computer.

(3) Appointment shall not be given to such orphan, if any member of his family is already employed on regular basis under the Central Government or any State Government, Statutory Board, Organisation or Corporation owned or controlled wholly or partially by the Central Government or any State Government at the time of death of his/her parents or at the time of appointment of such orphan.

(4) If the orphan is not in a position to take up employment immediately being a minor, employment may be given to him on attaining the age required for appointment on the post.

(5) Such orphan shall submit an application for appointment to the District Collector concerned. In the event of non-availability of vacancy in the district concerned, the application shall be sent to the Divisional Commissioner who shall arrange appointment in any District under his jurisdiction. If vacant post is not available under the jurisdiction of the Divisional Commissioner, the application shall be referred by the Divisional Commissioner to the Department of Personnel (A-II) for providing appointment.

Explanation:- For the purpose of this rule orphan means a person who has not attained the age of eighteen years at the time of death of his biological or adoptive parents who (both) have died due to Corona on or before 31.03.2023 or one of the parents had died in the past and the other died due to Corona on or before 31.03.2023 and who was wholly dependent on the parents at the time of their death."

[No. F. 7(7)DOP/A-II/2023]
By order and in the name of the Governor,
JAI SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.